मास्टर परिपत्र

सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारी कारोबार कर रहे / करने के लिए प्रस्तावित बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

विषय वस्तु

1. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली

1.1 प्रस्तावना

1.2 प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्य

1.3 पात्रता शर्तें

1.4 प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण हेतु प्रक्रिया

2. प्राथमिक व्यापारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

3. बहियों और खातों का अनुरक्षण

4. पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण

6. अनुदेशों का उल्लंघन

1. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली

1.1. प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1995 में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली लागू की थी जिसमें वे स्वतंत्र निकाय सम्मिलित हैं जो प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियों पर केंद्रित हैं । प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली व्यापक आधारित बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में प्राथमिक व्यापारी के कारोबार के अनुमत ढाँचे का विस्तार करके बैंकों को शामिल किया गया । वर्तमान स्थिति के अनुसार 8 स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी तथा 10 बैंक विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

1.2. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्य

प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

(i) सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में मूलभूत संरचना को मजबूत करना ताकि उसे संवेदनशील, अर्थसुलभ और व्यापक आधारित बनाया जा सके ।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी और बाज़ार तैयार करने की क्षमता का विकास सुनिश्चित करना ताकि वे धीरे-धीरे काम शुरु कर दें ।

(iii) द्वितीयक बाज़ार व्यापार प्रणाली में सुधार लाना जिससे चलनिधि और कुल बिक्री में वृद्धि होगी तथा व्यापक निवेशकर्ता आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को प्रोत्साहन मिले ।

(iv) प्राथमिक व्यापारियों को खुले बाज़ार के परिचालन करने के लिए प्रभावी बनाना ।

1.3. प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने हेतु प्रस्तावित बैंकों (बैंक-पीडी) हेतु पात्रता शर्तें

प्राथमिक व्यापारी लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के बैंक पात्र होंगे :-

(i) ऐसे बैंक, वर्तमान में जिनकी कोई आंशिक अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली कोई अनुषंगी शाखा नहीं है और वे निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करते हैं :-

(क) 1,000 करोड़ रु. की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ।

(ख) 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर ।

(ग) 3 प्रतिशत से कम निवल अनर्जक आस्तियाँ और पिछले तीन वर्ष के लाभ का रिकार्ड ।

(ii) ऐसे भारतीय बैंक जो 1.3(i)(क) से (ग) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर **आंशिक रुप से अथवा पूर्णतः स्वामित्ववाली अनुषंगी शाखाओं** के माध्यम से प्राथमिक व्यापारी का कार्य कर रहे हैं तथा अपनी आंशिक/पूर्णतया स्वामित्ववाली अनुषंगी शाखाओं का विलयन करके प्राथमिक व्यापारी का कार्य करने के इच्छुक हों ।

(iii) भारत में कार्यरत ऐसे विदेशी बैंक जो 1.3(i)(क) से (ग) में निर्दिष्ट मानदण्ड पूरे करने पर समूह कंपनियों द्वारा किए जा रहे विभागीय रुप से **प्राथमिक व्यापारी के कारोबार का विलयन करके प्राथमिक व्यापारी** का कारोबार शुरु करने के इच्छुक हों ।

1.4. बैंक - पीडी के प्राधिकरण हेतु प्रक्रिया

1.4.1. प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राथमिक व्यापारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र बैंक मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर-I विश्व व्यापार केंद्र,कफ परेड, मुंबई 400 005 से संपर्क करें । बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बैंक मुख्य महा प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 16 वीं मजिंल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400 001 को विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किए जाने हेतु आवेदन करें ।

1.4.2. अपनी आंशिक /पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार विलय करके / ग्रहण करके अथवा समूह कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्राथमिक व्यापारी के कारोबार का विलय करके विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी के कार्य शुरू करने के इच्छुक भारत में कार्यरत विदेशी बैंक ऐसी अनुषंगी कंपनियो/समूह द्वारा दिए गए वचनपत्र में, यथा प्रयोज्य, शर्तों के अधीन तब तक रहेंगे जब तक बैंक द्वारा नया वचनपत्र निष्पादित नहीं किया जाता ।

1.4.3. प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने के लिए प्राधिकृत बैंक को वचनपत्र **(परिशिष्ट-I)** के निष्पादन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष (जुलाई-जून) के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थायी व्यवस्था करना अपेक्षित होगा ।

टिप्पणी

प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने के लिए बैंक को सूचीबद्ध करने का निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार आवश्यकताओं का अनुमान, आवेदक की उपयुक्तता तथा प्रणाली में उनके महत्व के आधार पर लिया जाएगा ।

2. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

2.1. बैंक - पीडी 2जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र आऋप्रवि. पीडीआरएस.01/ 03.64.00/2007-08 में निहित प्राथमिक व्यापारियों को जारी परिचालनगत अनुदेशों तथा समय समय पर प्राथमिक व्यापारियों को जारी अन्य दिशानिर्देशों, जैसे कि वे लागू हैं, के अधीन तब तक रहेंगे जब तक कि विशिष्ट रूप से निर्देश न दिए जाएँ ।

2.2. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ तथा खजाना बिल जारी करने के लिए प्राथमिक बाजार नीलामी, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी, सरकारी प्रतिभूतियों में सक्रिय गौण बैंकों द्वारा संतुलन करने तथा सरकारी प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार में कुल बिक्री में बैंक - पीडी की भूमिका और उत्तरदायित्व प्राथमिक व्यापारियों को जारी 2 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र आऋप्रवि. पीडीआरएस. 01/03.64.00/2007-08 के अनुसार होंगे ।

2.3. बैंक - पीडी से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ) तथा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ फिमडा की सदस्यता लें तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रतिभूति बाजारों के हित में उनके द्वारा किए गए प्रयासों का पालन करें ।

2.4. निवल मांग /भारतीय रिज़र्व बैंक उधार और निवल स्वाधिकृत निधियों पर आधारित दैनिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में न्यूनतम निवेश सुनिश्चित करने की अपेक्षा बैंक - पीडी पर लागू नहीं होंगी; यह बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होंगी ।

2.5. जैसा कि बैंकों की पहुँच भारतीय रिज़र्व बैंक के माँग मुद्रा बाजार, पुर्नवित्त सुविधा और चलनिधि समायोजन सुविधा तक है, बैंक - पीडी की पहुँच अलग से इन सुविधाओं और चलनिधि समर्थन तक नहीं होगी जैसी कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को उपलब्ध है ।

2.6. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16 नवंबर 2006 के परिपत्र आंऋप्रवि सं /2130/11.01.01 (डी)/ /2006-07 द्वारा जारी "यदा जारी व्यापार" के प्रयोजन हेतु बैंक - पीडी को प्राथमिक व्यापारियों के समान ही माना जाएगा ।

2.7. बैंक - पीडी माँग /नोटिस / मीयादी मुद्रा बाजार, अंतर कंपनी जमा, एफसीएन आर (बी) ऋण / बाह्य वाणिज्य उधार और निधि के अन्य स्त्रोतों में उधार के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे ।

2.8 बैंक की निवेश नीति को प्राथमिक व्यापारिक गतिविधियों को भी शामिल करके यथोचित रुप से संशोधित किया जाए । निवेश नीति की समग्र रुपरेखा में बैंक द्वारा किए जानेवाले **प्राथमिक व्यापारी कारोबार को सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन,हामीदारी और बाजार निर्माण तक सीमित रखा जाए** । कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम /वित्तीय संस्थागत बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र ऋण मुच्युअल फंड और अन्य सावधि आयवाली प्रतिभूतियों को प्राथमिक व्यापारी कारोबार के भाग के रुप में न समझा जाए ।

2.9 "व्यापार के लिए धारिता" संविभाग के मामले में बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्याकंन और परिचालन के लिए यथा लागू दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए चिह्नित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में भी लागू होंगे ।

2.10 प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अधीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की गणना सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए की जाएगी ।

2.11 दलालों के माध्यम से कारोबार,तैयार वायदा लेनदेन, ब्याज दर डेरिवेटिव (काउंटर पर तथा विनिमय व्यापारीकृत्त डेरिवेटिव), गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, गौण ऋण लिखतों के निर्गम, लाभांश की घोषणा, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंक - पीडी बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों से निर्देशित होंगे ।

3. बहियों और खातों का अनुरक्षण

3.1 बैंक के विभागवार किए जानेवाले प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेनदेन बैंक के विद्यमान सहायक सामान्य खाते (एसजीएल) के माध्यम से किए जाने चाहिए। तथापि ऐसे बैंकों को आवश्यक लेखा परीक्षा मदों का अनुसरण करते हुए

प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेनदेनों के लिए अलग से खाता बही रखना होगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में, किसी भी समय प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए निर्धारित न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियाँ शेष हों ।

3.2 बैंक - पीडी के शतप्रतिशत लेन-देन तथा पीडी विभाग द्वारा प्रस्तुत विनियामक विवरिणयाँ समवर्ती लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करनी चाहिए । पीडी बही में 100 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों का न्यूनतम निर्धारित शेष हमेशा रखे जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्दिशों/अनुदेशों का अनुपालन करने संबंधी लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर भेजा जाए ।

4. पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन

4.1 पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्दिशों के अनुसार ही होंगे । बैंक की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का मूल्याकंन करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन रुपरेखा के अधीन संरक्षण में प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियों को भी शामिल किया जाए ।

4.2 बैंकों द्वारा प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों का अनुमान लगाने तथा उसे प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाए ।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण

5.1 **परोक्ष पर्यवेक्षण :** प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित आवधिक विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक को अविलंब प्रस्तुत करें । उक्त विवरणियां और उनकी आवधिकता की वर्तमान सूची **परिशिष्ट II** में प्रस्तुत है ।

5.2 **प्रत्यक्ष निरीक्षण :** बैंक की बहियों ,रिकार्ड, दस्तावेज और खाते का निरीक्षण करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा । बैंक - पीडी से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षकों को उक्त सभी दस्तावेज,रिकार्ड आदि उपलब्ध करायें तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें ।

6. अनुदेशों का उल्लंघन

उक्त दिशानिर्देशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बैंक - पीडी द्वारा निष्पादित वचनपत्र परिशिष्ट I की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायगा तथा

प्राथमिक व्यापारी के रुप में कारोबार करने के प्राधिकार को समाप्त करने के साथ साथ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक जो भी उचित समझे , आर्थिक दण्ड अथवा निर्धारित हर्जाना लगा सकता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, आवश्यक समझे जानेपर उक्त दिशानिर्देशों में समय समय पर संशोधन अथवा आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है ।